

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी-देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रा0पत्र स्थानान्तरण सं0 44/2025

मिथलेश कुमारी पत्नि सुरेश चन्द जाति मीना निवासी हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा राज

....प्रार्थी

बनाम

1. अमित कुमार वर्मा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा
2. भरतलाल पुत्र रामहेत
3. कजोडी पुत्र रामहेत
4. खुशीराम पुत्र रामप्रसाद
5. सियाराम पुत्र रामप्रसाद
6. रामदीन पुत्र रामप्रसाद
7. सम्पति पत्नि स्व. रामप्रसाद
8. उगन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि हल्देना हाल पत्नि रतनलाल नि. बिबाई जिला दौसा
9. गोरधनी पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि हल्देना हाल पत्नि घमण्डी जाति मीना नि. बिबाई जिला दौसा
10. धनवन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि.हल्देना हाल पत्नि मिश्रीलाल जाति मीना नि. निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर
11. बनाशपति पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि. हल्देना हाल पत्नि कमलेश निवासी भोपुर तहसील महवा जिला दौसा
- 12.मैनेजर, सिण्डीकेट बैंक शाखा मण्डावर
13. मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा शाखा मण्डावर
- 14.राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर



.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अन्तर्गत वाद पत्र संख्या 99/2022 मुकदमा उनवानी मिथलेश बनाम भरतलाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा आगामी तारीख पेशी 03-06-2025

उपस्थित : 1. श्री रिद्धी चंद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

--: निर्णय :-

दिनांक: 17.11.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर मंडावर में विचाराधीन वाद उनवानी मिथलेश बनाम भरतलाल आदि, प्रकरण संख्या 100/22 को किसी भी दीगर उप जिला कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलेक्टर मंडावर से टिप्पणी मंगवाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी प्रकरण मिथलेश बनाम भरतलाल मुकदमा वाद संख्या 100/2022 विचाराधीन है। जिसमें वादीया द्वारा नम्बर 552 रकबा 0.43 है0 वाके मौजा ग्राम हल्देना का तकास्मा मौके पर कब्जे अनुसार किये जाने

Dhand
जिला कलेक्टर, दौसा

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के प्रकरण में उपखंड अधिकारी मंडावर के द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।
5. उपखंड अधिकारी मंडावर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थिया के द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या, सारहीन एवं मनगढन्त है। यदि वाद सं० 99/2022 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।
6. शेष अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं० 1 उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आमादा है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उनवानी प्रकरण में दिनांक 07-02-2025 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री करते हुए कूरेजात तलब किये गये जिस पर तहसीलदार मण्डावर द्वारा दिनांक 27-02-2025 को कूरेजात बिना मौके पर गये मात्र ऑफिस में बैठकर तैयार कर अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी मण्डावर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.11.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादी भरतलाल के द्वारा आपत्ति की गई कि तहसीलदार मंडावर के द्वारा प्रस्तुत की गई कूरेजात रिकार्ड व मौके के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उक्त भूमि खसरा नंबर 552 के सह खातेदारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। उक्त आपत्ति को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिक दिनांक 26.12.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि कूरेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री में जारी आदेशानुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की दोनों दिवसों की आदेशिका में विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार योग्य समझते हैं।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी मंडावर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी मिथलेश बनाम भरतलाल मु०नं० 100/22 को न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई को स्थानान्तरण किया जाता है। उभयपक्षकारान दिनांक 02.12.2025 को न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष उपस्थित हों। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी मंडावर व बांदीकुई को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

